

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति


वाद सं०-०७ / २०२४

11.03.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता मो० अख्तर अंसारी एवं अन्य ग्राम+पं०-भण्डारीडीह, प्रखण्ड-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित।


जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि यातायात से संबंधित समस्याओं के कारण सुनवाई में उपस्थित होने में विलंब होगा। इस बीच दूरभाष पर शिकायतकर्ता से सम्पर्क करने पर शिकायतकर्ता ने बताया उन्हें आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद राशन उपलब्ध करा दिये जाने के प्रति अश्वस्त किया गया है। शिकायतकर्ता ने आयोग से आग्रह किया उन्हें उम्मीद है कि उन्हें दिया गया अश्वासन पूरा कर दिया जायेगा। अतः इस वाद को निष्पादित कर दिया जाय। आयोग शिकायतकर्ता के आग्रह पर इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।



(शबनम परवीन)

सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।



(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।